

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण, 1940 (श॰)

संख्या- 1086 राँची, शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 2018 (ई॰)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना 26 अक्टूबर, 2018

संख्या-एल॰जी॰-13/2017-163/लेज॰-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीया राज्यपाल दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम, 2018 (झारखण्ड अधिनियम, 16, 2018)

विषय- सूची

उद्देशिका

धारा

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । 1.
- 2. परिभाषाएं ।
- 3. अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि ।

झारखण्ड गजट (असाधारण) श्क्रवार, 7 दिसम्बर, 2018

- 4. कल्याण निधि समिति का गठन I
- 5. समिति के नामनिर्देशित सदस्यों की निरर्हता एवं हटाना ।
- 6. समिति के नामनिर्देशित सदस्य द्वारा त्याग पत्र देना तथा आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना ।
- 7. समिति का कोई कार्य त्रुटि, रिक्ति आदि के कारण अविधिमान्य नहीं होना I
- 8. निधि का निवेश एवं उपयोजन करना I
- 9. समिति के कृत्य l
- 10. उधार लेना तथा निधि का निवेश करना I
- 11. सचिव की शक्ति और कर्तव्य I
- 12. झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि की मुहर I
- 13. अधिवक्ता लिपिक संघ की मान्यता एवं निबंधन I
- 14. अधिवक्ता लिपिक संघ के कर्तव्य I
- 15. निधि की सदस्यता I
- 16. नियोजन समाप्त होने पर निधि से भ्गतान I
- 17. निधि के सदस्यों के हित में अन्यसंक्रामण, जब्ती आदि पर पाबन्दी I
- 18. सदस्यों के लिए समूह जीवन बीमा और अन्य लाभ ।
- 19. समिति की बैठक I
- 20. समिति के सदस्यों के लिए यात्रा एवं दैनिक भत्ता ।
- 21. पुनर्विलोकन I
- 22. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।
- 23. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ।
- 24. साक्षियों को सम्मन देने और साक्ष्य लेने की शक्ति ।
- 25. नियम बनाने की शक्ति I

झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम, 2018

उद्देशिका :-

चूँकि झारखण्ड राज्य में अधिवक्ता लिपिकों के सेवांत एवं अन्य लाभों के भुगतान और इनसे सम्बंधित या अनुषंगिक मामलों के लिए कल्याण निधि के गठन का उपबंध करना समीचीन हो गया है ;

इसलिए यह झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा भारत-गणतंत्र के उनहत्तरवे वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-

- (1) यह अधिनियम झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम, 2018 कहलायेगा ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (3) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत कर इस निमित नियत तिथि से प्रवृत होगा ।

2. परिभाषाएँ :-

जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इस अधिनियम में :-

- (क) 'अधिवक्ता' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति, जिसका नाम भारतीय विधिज्ञ परिसद नियमावली, 1975 तथा समय-समय पर संशोधित सुसंगत उपबंधों के साथ सहपथित अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा तैयार एवं अनुरक्षित राज्य अधिवक्ता नामावली में नामांकित हो;
- (ख) 'अधिवक्ता लिपिक' से अभिप्रेत है किसी अधिवक्ता द्वारा नियोजित और यथा विहित प्राधिकार एवं रीती से मान्यता प्राप्त कोई लिपिक जो अधिवक्ता लिपित संघ का सदस्य हो ।
- (ग) 'अधिवक्ता लिपिक संघ' से अभिप्रेत है धारा 13 के अधीन मान्यता प्राप्त एवं निबंधित अधिवक्ता लिपिक संघ;
- (घ) 'अधिवक्ता संघ' से अभिप्रेत है अधिवक्ता/विधिज्ञ/वकील का संघ जो राज्य विधिज्ञ विधिज्ञ परिषद् से मान्यता प्राप्त/ संबद्ध हो;
- (ङ) 'विधिज्ञ परिषद्' से अधिप्रेत है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन गठित झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद ;
- (च) 'नियोजन का समापन' से अभिप्रेत है समिति द्वारा अनुरक्षित राज्य नामावली से अधिवक्ता लिपिक की सेवानिवृत्ति के चलते नाम हटाना ;
- (छ) 'समिति' से अभिप्रेत है धारा- 4 के अधीन गठित झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि समिति ;
- (ज) 'आश्रित' से अभिप्रेत है झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि के सदस्य की पत्नी, पित, पिता, माता एवं अविवाहित नाबालिग बच्चा अथवा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चें ;
- (झ) 'निधि' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि ;
- (ज) 'सरकार' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार ;
- (z) 'निधि के सदस्य' से अभिप्रेत है ऐसा कोई अधिवक्ता लिपिक जिसे निधि से लाभ स्वीकृत किया गया है तथा वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसका सदस्य बना रहे ;

- (ठ) 'अधिसूचना' से अभिप्रेत है झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना तथा 'अधिसूचित' शब्द तदन्सार माना जाएगा ;
- (ड) तदनुसार 'विहित' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित ;
- (ढ) 'सेवानिवृत्ति' से अभिप्रेत है सेवा या किसी अन्य लाभप्रद पेशा में योगदान करने से भिन्न किसी कारण के चलते अधिवक्ता लिपिक के रूप में नियोजन की समाप्ति, जिसे विहित रीति से लिखित रूप में संसूचित किया गया हो ;
- (ण) 'सचिव' से अभिप्रेत है समिति का सचिव ;
- (त) 'मुहर' से अभिप्रेत है धारा- 12 के अधीन मुद्रित एवं वितरित, झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि की मुहर ; और
- (थ) 'वकालतनामा' से अभिप्रेत वकालतनामा तथा इसमें शामिल है हाजिरी का ज्ञापन या कोई अन्य कागजात जिसके द्वारा कोई अधिवक्ता किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकार के समक्ष उपस्थित होने या अभिवचन करने के लिए सशक्त बनता है। किन्तु राज्य सरकार का प्रतिनिधत्व करने वाले राज्य के पदाधिकारी के निमित भरा गया हाजिरी ज्ञापन इसमें सम्मिलित नहीं होगा।

3. अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि

- सरकार अधिसूचना द्वारा झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नामक एक निधि का गठन करेगी।
- 2. निधि में निम्नलिखित रकम जमा की जाएगी:-
 - (क) धारा- 12 के अधीन टिकटों (स्टाम्प) की बिक्री से प्राप्त सभी रकम ;
 - (ख) विधिज्ञ परिषद्, कोई विधिज्ञ संघ, कोई अन्य संघ या संस्था, कोई अधिवक्ता या कोई अन्य व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किया गया दान अथवा निधि सृजन के लिए दिये गये अंशदान से प्राप्त रकम ;
 - (ग) धारा- 10 के अधीन उधार ली गयी कोई रकम;
 - (घ) निधि के किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात समूह बीमा नीति के अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा किसी अन्य बीमा कम्पनी से प्राप्त सभी रकम ;
 - (इ) निधि के सदस्यों के समूह बीमा नीति से संबंधित भारतीय जीवन बीमा निगम या कोई अन्य बीमा कम्पनी से प्राप्त कोई लाभ या लाभांश ;
 - (च) निधि के किसी अंश के किए गए निवेश पर प्राप्त कोई लाभांश का ब्याज या अन्य लाभ ; और
 - (छ) धारा- 15 के अधीन एकत्र की गयी सभी रकम।

4. कल्याण निधि समिति का गठन:-

(1) सरकार अधिसूचना द्वारा झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि समिति नाम का एक समिति का गठन करेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से प्रवृत्त होगी।

- (2) सिमिति एक निगमित निकाय होगी जिसके पास शाश्वत उत्तराधिकार तथा सम्पित्त के अर्जन, रखने एवं निपटान की शिक्त के साथ एक सामान्य मुहर (सील) होगी और वह उक्त नाम से वाद चला सकती है या उस पर वाद चलाया जा सकता है।
- (3) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
 - (क) विधिज्ञ परिषद् का अधयक्ष ;
 - (ख) सरकार का प्रधान सचिव, विधि विभाग;
 - (ग) सरकार का प्रधान सचिव, गृह विभाग ;
 - (घ) सरकार का प्रधान सचिव, वित्त विभाग ;
 - (इ) झारखण्ड उच्च न्यायालय का महानिबंधक ;
 - (च) यथाविहित प्राधिकार एवं रीति से अधिवक्ता लिपिकों में से नाम निर्देशित तीन सदस्य, जिन में से एक को समिति द्वारा निधि का कोषाध्यक्ष मनोनित किया जाएगा ; और
 - (छ) सचिव की भर्ती एवं सेवा शर्तों के सम्बन्ध में समिति द्वारा बनाए गए विनियम के अनुसार अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाने वाला सचिव ;

परन्तु इस प्रकार नियुक्त सचिव के पास समिति की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

- (4) विधिज्ञ परिषद का अध्यक्ष समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।
- (5) सरकार के प्रधान सचिव, विधि विभाग, सरकार के प्रधान सचिव, गृह विभाग, सरकार के प्रधान सचिव, वित्त विभाग और झारखण्ड उच्च न्यायालय के महानिबंधक समिति के पदेन सदस्य होंगे।
- (6) सरकार के प्रधान सचिव, विधि विभाग, सरकार के प्रधान सचिव, गृह विभाग, सराकर के प्रधान सचिव, वित्त विभाग यदि किसी कारण से समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो वे अपने अपने विभाग से उप सचिव स्तर से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी को बैठक में शामिल होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं।
- (7) यदि झारखण्ड उच्च न्यायालय के महानिबंधक किसी कारण से समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो वे उप निबंधक स्तर से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी को बैठक में शामिल होने के लिए प्रतिनिय्क्त कर सकते हैं।
- (8) उप-धारा (3) के खंड (च) के अधीन नाम निर्देशित कोई सदस्य अपने नाम निर्देशन की तिथि से तीन वर्षों की अविध तक अथवा अधिवक्ता लिपिक संघ के सदस्य रहने तक, जो भी पहले हो पद धारण करेगा।
- (9) सचिव को निधि से यथा विहित रीति से पारिश्रमिक का भ्गतान किया जाएगा।

5. समिति के नाम निर्देशित सदस्यों की निरईता एवं हटाना:-

1. धारा- 4 की उप-धारा- (3) के खंड- (च) के अधीन नाम निर्देशित कोई सदस्य समिति की सदस्यता से निरर्हित हो जाएगा तथा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यदि वह-

(क) विक्षिप्त हो जाए ; या

- (ख) न्याय निर्णीत दिवलिया घोषित हो, या
- (ग) सिमिति की अनुमित के बिना सिमिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहें; परन्तु इस खंड के अधीन सदस्यता समाप्त सदस्य की सदस्यता को सिमिति द्वारा प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, यदि वह सदस्य अनुपस्थिति माफ़ करने के लिए आवेदन करता है; या
- (घ). निधि का ब्यतिक्रमी है (यदि वह निधि का सदस्य है) या उसने विश्वास भंग किया है ; या
- (इ). चरित्रहीन आचरण के अपराध के लिए न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो, जबतक कि ऐसे सिद्धदोष को अपास्त न किया जाए।
- 2. सरकार किसी ऐसे सदस्य को हटा सकती है जो उप धारा- (1) के अधीन सिमिति की सदस्यता से निरिहत हों या हो गए हों। परन्तु किसी सदस्य को हटाए जाने का आदेश तबतक पारित नहीं किया जाएगा जबतक कि सदस्य को सुने जाने का अवसर न दिया गया हो।

6. समिति के नाम निर्देशित सदस्य द्वारा त्याग पत्र देना तथा आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना-

- (1). धारा- 4 की उप-धारा- (3) के खंड (च) के अधीन नाम निर्देशित कोई सदस्य समिति के अध्यक्ष को तीन माह की लिखित सूचना देते हुए अपना पद त्याग कर सकता है और जब उक्त अध्यक्ष द्वारा उसका त्याग पत्र स्वीकृत हो जाता है तो उसका पद रिक्त माना जाएगा।
- (2) उप-धारा- (1) में निर्दिष्ट सदस्य की कोई आकस्मिक रिक्ति यथा संभव शीघ्र भरी जाएगी और ऐसी रिक्ति के विरूद्ध नाम निर्देशित सदस्य अपने पूर्ववर्ती सदस्य की शेष अविध के लिए पद धारण करेगा।

7- समिति का कोई कार्य त्रृटि रिक्ति आदि के कारण अविधिमान्य नहीं होगा :&

इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम के अधीन समिति द्वारा किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होंगे:-

- क- समिति के गठन में कोई रिक्ति या त्रृटि ; या
- ख. सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नाम निर्देशन में कोई त्रुटि या अनियमितता ; या
- ग. ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई त्रुटि या अनियमितता के मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करेगी।

8- निधि का निहित होना एवं उपयोजन:-

इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एवं उपबंधों के अध्यधीन निधि समिति में निहित होगी एवं उसके द्वारा उसका धारण एवं उपयोजन किया जाएगा।

9- समिति के कृत्य:-

- (1) समिति का कृत्य निधि का संचालन करना होगा ;
- (2) समिति द्वारा निधि का संचालन इस अधिनियम एवं एतद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन निम्नितिखित रूप में किया जाएगा:-

- (क) निधि की रकम एवं परिसम्पतियों को रखना ;
- (ख) निधि में नामांकन या पुनर्नामांकन के लिए आवेदन प्राप्त करना तथा प्रात्ति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर आवेदन का निष्पादन करना ;
- (x) यथास्थिति] निधि के सदस्यों उनके मनोनीतों या विधिक प्रतिनिधियों से निधि से भ्गतान के लिए आवेदन प्राप्त करना ;
- (घ) आवेदनों के निष्पादन हेतु यथावश्यक जाँच-पड़ताल कराना तथा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पाँच माह के भीतर उसका निष्पादन करना ;
- (इ) आवेदनों पर समिति के निर्णय की कार्यवृत्तप्स्तिका का रख-रखाव ;
- (च) अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर आवेदकों को रकम का भुगतान करना ;
- (छ) यथाविहित लेखा एवं पुस्तिका का संधारण तथा पत्रिका और वार्षिक प्रतिवेदन विधिज्ञ परिषद को भेजना ;
- (ज) निधि में नामांकन या पुनर्नामांकन अथवा निधि के लाभ के दावा हेतु आवेदनों से संबंधित समिति के निर्णय को आवेदकों के पास डाक प्रमाणन के जरिए संसूचित करना ; और
- (झ) इस अधिनियम एवं एतद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन यथापेक्षित कार्य करना जिसमें समिति के कार्यालय हेतु कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का प्रावधान करना भी शामिल है।

10- उधार लेना तथा निधि से निवेश करना:-

- (1) समिति विधिज्ञ परिषद्की पूर्वानुमित से इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए समय-समय पर अपेक्षित कोई रकम उधार ले सकती है।
- (2) सिमिति निधि के भाग रूप सभी राशि एवं प्राप्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में जमा करेगी अथवा केन्द्र या राज्य सरकार स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम को ऋण देने में अथवा सरकार के पूर्वानुमोदन से विधिज्ञ परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा निदेशित रीति से निवेश करेगी।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बकाया एवं भुगतेय सभी रकम और निधि के प्रबंधन एवं नियंत्रण से संबंधित सभी व्यय का भुगतान निधि से किया जाएगा।
- (4) समिति द्वारा नियुक्त चार्टड एकांउटेन्ट समिति के सभी लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा करेंगे।
- (5) समिति लेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित सभी लेखा तथा उनके लेखा प्रतिवेदन को विधिज्ञ परिषद् को अग्रसारित करेगी तथा विधिज्ञ परिषद् समिति को ऐसा निदेश देगी जो वह उपयुक्त समझे।
- (6) समिति उप-धारा- (2) के अधीन विधिज्ञ परिषद् द्वारा निर्गत निदेशों को अनुपालन करेगी।

11- सचिव की शक्ति और कर्तव्य:-

(क) वह समिति का मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी तथा समिति के निर्णयों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा ;

- (ख) समिति की ओर से चलाए गए सभी वाद एवं कार्यवाही में उसका प्रतिनिधि होगा ;
- (ग) वह अपने हस्ताक्षर द्वारा समिति के सभी निर्णय एवं अनुदेश का प्रमाणन करेगा ;
- (घ) वह कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से समिति के सभी बैंक खातों का प्रचालन करेगा ;
- (इ) समिति की बैठक का आयोजन तथा उसकी कार्यवृत्त तैयार करेगा ;
- (च) समिति की सभा बैठक में सभी आवश्यक अभिलेख एवं सूचना के साथ उपस्थित रहेगा ;
- (छ) समय-समय पर यथा विहित फारम, पंजी एवं अन्य अभिलेख का संधारण तथा समिति से संबंधित सभी पत्राचार करेगा ;
- (ज) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान समिति द्वारा किए गए कार्य-संव्यवहार की वार्षिक विवरणी तैयार करेगा ;
- (झ) समिति द्वारा यथा निदेशित कार्य करेगा।

12- झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि की मुहर:-

- (1) विधिज्ञ परिषद् द्वारा यथा विहित फारम तथा झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि लिखा हुआ मुहर यथा विहित रीति से मुद्रित किया या करवाया जाएगा, प्रत्येक का मूल्य पाँच रू० होगा।
- (2) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण के समक्ष दाखिल हर वकालतनामा या हाजिरी ज्ञापन पर न्यायालय शुल्क स्टाम्प यदि कोई हो एवं किसी अन्य अधिनियम के अधीन चिपकाए गए स्टाम्पों के अतिरिकत उप-धारा- (1) में यथा विनिर्दिष्ट स्टाम्प चिपकाया जाएगा तथा जबतक कि ऐसा स्टाम्प नहीं चिपकाया गया हो तबतक कोई वकालतनामा या हाजिरी ज्ञापन विधिमान्य नहीं होगा ;

परन्तु केन्द्र या राज्य सरकार की ओर से दाखिल किसी वकालतनामा या हाजिरी ज्ञापन के लिए यह उप-धारा लागू नहीं होगी।

- (3) ऐसा स्टाम्प सिहत वकालतनामा प्राप्त करने वाला व्यक्ति या प्राधिकारी तत्काल प्रभाव से उस स्टाम्प को पंच करते हुए रद्द कर देगा।
- (4) इस धारा के अधीन मुद्रित स्टाम्पों को विधिज्ञ परिषद् की अभिरक्षा में रखा जाएगा तथा स्टाम्पों की आपूर्ति एवं बिक्री यथा विहित रीति से की जाएगी।

13- अधिवक्ता लिपिक संघ की मान्यता एवं निबंधन:-

(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात गठित अधिवक्ता लिपिक संघ अपने गठन के दो माह के भीतर तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व गठित अधिवक्ता लिपिक संघ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से दो माह के भीतर इस अधिनियम के अधीन अधिवक्ता लिपिक संघ के रूप में मान्यता प्रदान एवं निबंधन करने हेतु यथा विहित फारम में एवं रीति से समिति के पास आवेदन करेगा।

- (2) मान्यता एवं निबंधन हेतु हर आवेदन के साथ संघ की नियमावली या उप-विधि, पदधारियों के नाम एवं पता तथा संघ के सदस्यों के नाम, पता, उम्र एवं नियोजन-स्थल सहित अद्यतन सूची संलग्न रहेगी।
- (3) सिमिति यथावश्यक जाँच-पड़ताल करने के पश्चात अधिवक्ता लिपिक संघ के रूप में संघ को मान्यता प्रदान करेगी तथा यथाविहित फारम में मान्यता एवं निबंधन का प्रमाण पत्र निर्गत करेगी।
- (4) संघ की मान्यता एवं निबंधन के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।

14- अधिवक्ता लिपिक संघ के कर्त्तव्य :-

- (1) हर अधिवक्ता लिपिक संघ प्रत्येक वर्ष के 15 अप्रैल के पूर्व उस वर्ष 31 मार्च तक बने अपने सदस्यों की सूची संसूचित करेगा।
- (2) हर अधिवक्ता लिपिक संघ समिति को संसूचित करेगा -
 - (क) अधिवक्ता लिपिक संघ के पदधारियों में कोई परिवर्तन होने पर परिवर्तन होने से पन्द्रह दिनों के भीतर ;
 - (ख) नामांकन एवं पुनर्नामांकन सिहत सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन होने पर परिवर्तन से तीस दिनों के भीतर ;
 - (ग) किसी सदस्य की मृत्य या सेवा निवृत्ति होने पर 30 दिनों के भीतर ;
 - (घ) समिति दवारा समय-समय पर यथापेक्षित अन्य मामले।

15- निधि की सदस्यता :-

- (1) राज्य का हरेक अधिवक्ता लिपिक निधि के सदस्य के रूप में नामांकन हेतु यथा विहित फारम एवं रीति से समिति को आवेदन करेगा।
- (2) सिमिति उप-धारा-(1) के अधीन प्राप्त आवेदनों की इस प्रकार जाँच-पड़ताल करेगी जो वह उपयुक्त समझे तथा या तो निधि हेतु आवेदक का नामांकन करेगी या कारणों को अभिलिखित करते हुए आवेदन को नामंजूर करेगी। परन्तु आवेदन को नामंजूर करने का आदेश तबतक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुने जाने का अवसर न दिया जाए।
- (3) हर आवेदक समिति के लेखा के लिए आवेदन के साथ एक सौ रूपये का आवेदन शुल्क भ्गतान करेगा।
- (4) हर आवेदक निधि में नामांकन या पुनर्नामांकन के समय एक सौ रूपये नामांकन शुल्क का भुगतान करेगा।
- (5) निधि के सदस्य के रूप में नामांकित हर व्यक्ति 2000/- रू॰ सदस्यता शुल्क का भुगतान करेगा, जो दो अर्धवार्षिक किस्तों में भुगतेय होगा।
- (6) निधि का प्रत्येक सदस्य नामांकन के समय अपने परिवार से एक या अधिक आश्रितों को मनोनीत कर सकता है जो उसकी मृत्यु की दशा में रकम प्राप्त करेगा ;

परन्तु यदि उसका कोई परिवार नहीं हो तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है जिसे वह पसंद करता है।

(7) यदि एक से अधिक व्यक्ति मनोनीत हैं तो प्रत्येक नामिती को भुगतेय हिस्सेदारी की रकम मनोनयन में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

- (8) निधि का कोई सदस्य नये मनोनयन के साथ-साथ समिति को लिखित सूचना भेजकर किसी भी समय मनोनयन रद्द कर सकता है।
- (9) किसी सेवा से सेवानिवृत्त और पेंशन पाने वाला कोई व्यक्ति निधि की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा।
- (10) शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा सिमिति को ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि कोई अधिवक्ता लिपिक दुर्व्यपदेशन, कपट या अनुचित प्रभाव के चलते निधि के सदस्य के रूप में नामांकन करा लिया है तो सिमिति के पास ऐसे अधिवक्ता लिपिक को निधि की सदस्यता से नाम हटाने का अधिकार होगा ;

परन्तु ऐसे व्यक्ति, जिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, के विरूद्ध ऐसा आदेश तबतक पारित नहीं किया जाएगा जबतक कि उसे सुने जाने का अवसर न प्रदान किया गया हो।

16- नियोजन समाप्त होने पर निधि से भ्गतान :-

- (1) निधि का कोई सदस्य नियोजन की समाप्ति के पश्चात अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर निधि से रकम प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (2) सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में नामिती को या जहाँ नामिती नहीं हों वहाँ उसके आश्रित को पचास हजार रूपये की समेकित रकम का भ्गतान किया जाएगा।
- (3) निधि का कोई सदस्य निधि की सदस्यता के रूप में अपने नामांकन के पाँच वर्षों के पश्चात किसी भी समय अपनी सदस्यता वापस ले सकेगा तथा ऐसी सदस्यता वापस लेने पर वह अनुसूची से विनिर्दिष्ट दर पर निधि से रकम प्राप्त करने का हकदार होगा और वह नए सदस्य के रूप में निधि में नामांकन के लिए यथा विहित शर्तों के अध्यधीन पात्र भी होगा ;
 - परन्तु स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त कोई सदस्य निधि में अपने नामांकन के पाँच वर्षों के भीतर भी अपनी सदस्यता वापस ले सकता है।
- (4) इस अधिनियम के अधीन भुगतान के प्रयोजनार्थ नियोजन- अविध की गणना के लिए निधि में सदस्य के नामांकन के पूर्व किसी अधिवक्ता के अधीन नियोजन का हर चार वर्ष, यदि कोई हो, नियोजन का एक वर्ष के रूप में संगणित किया जाएगा तथा ऐसे नामांकन के पश्चात नियोजन के वर्षों की संख्या में इसे जोड़ दिया जाएगा।
- (5) निधि से भुगतान के लिए समिति के पास कोई आवेदन यथा विहित फारम में किया जाएगा।
- (6) उप-धारा-(5) के अधीन प्राप्त आवेदन का निपटान समिति द्वारा यथावश्यक जाँच पड़ताल के पश्चात किया जाएगा।

17- निधि के सदस्यों के हित में अन्यसंक्रामण, जब्ती आदि पर पाबंदी :-

- (1) निधि से कोई रकम प्राप्त करने के लिए निधि के सदस्य या उसके नामिती या विधिक उत्तराधिकारी के हित या अधिकार का समनुदेशन, अन्यसंक्रामण या प्रभार्य नहीं किया जाएगा तथा न किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकार की डिक्री या आदेश के अधीन जब्त किया जाएगा।
- (2) कोई जमाकर्ता निधि या उसमें निधि के किसी सदस्य या उसके नामिती या विधिक उत्तराधिकारी के हित के विरूद्ध कार्यवाही चलाने का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनार्थ जमाकर्ता में राज्य या कोई शासकीय समनुदेशिती या तत्समय प्रवृत्त दिवालियापन से संबंधित विधि के अधीन नियुक्त शासकीय रिसीवर शामिल है।

18- सदस्यों के लिए समूह जीवन बीमा और अन्य लाभ :-

- (क) निधि के सदस्यों के कल्याण के लिए समिति भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमा कम्पनियों से निधि के सदस्यों के जीवन पर समूह बीमा की पाWलिसी लेगी ; और
- (ख) निधि के सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए यथा विहित चिकित्सीय एवं शैक्षणिक स्विधा तथा अन्य स्विधाएँ उपलब्ध कराएगी।

19- समिति की बैठक :-

- (1) इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम के अधीन अपने कार्य सम्व्यवहार के लिए समिति तीन माह में कम-से-कम एक बार या अवश्यक होने पर उससे अधिक बैठक करेगी।
- (2) समिति की बैठक की गणपूर्ति उसके पाँच सदस्यों से पूरी होगी।
- (3) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (4) समिति की बैठक के समक्ष लाये गये किसी मामले पर बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाएगा तथा बराबर मत पड़ने की दशा में अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

20- समिति के सदस्यों के लिए यात्रा एवं दैनिक भत्ता :-

समिति के मनोनीत सदस्य यथा विहित परिवहन एवं दैनिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

21- पुनर्विलोकन :-

समिति किसी भी समय स्वप्रेरणा या किसी हितबद्ध व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने पर अपने द्वारा पारित किसी आदेश का नब्बे दिनों के भीतर पुनर्विलोकन कर सकती है;

परन्तु समिति किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव वाला कोई आदेश तबतक पारित नहीं करेगी जबतक कि ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर न दिया गया हो।

22- सद्भाव पूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण :-

- (1) इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए िकसी नियम के अनुपालन में सद्भाव पूर्वक की गयी या की जाने से आशियत िकसी बात के िलए िकसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद] अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं चलायी जाएगी।
- (2) इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए िकसी िनयम के अनुपालन में सद्भाव पूर्वक की गयी या की जाने से आशियत िकसी बात से हुई क्षिति या क्षिति की संभावना के िलए सिमिति या विधिज परिषद् के विरूद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं चलायी जाएगी।

23- सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन :-

किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे प्रश्न या मामले को परिनिर्धारित, विनिश्चित या अवधारित करने की अधिकारिता नहीं होगी जिनको इस अधिनियम के अधीन परिनिर्धारित, विनिश्चित या कार्रवाई करना या अवधारित करना अपेक्षित है।

24- साक्षियों को सम्मन देने और साक्ष्य लेने की शक्ति :-

इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच-पड़ताल के प्रयोजनार्थ समिति को वही शक्ति होगी जो निम्नलिखित मामले के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित है -

- क. किसी व्यक्ति को हाजिर कराना तथा शपथ पत्र पर परीक्षण कराना
- ख. दस्तावेजों को प्रकटीकरण एवं प्रस्तुतीकरण
- ग. शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना ; और
- घ. साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना।

25- नियम बनाने की शक्त:-

- 1- सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।
- 2- इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के तुरंत बाद विधान सभा के समक्ष, जब वह चौदह दिनों की कुल अविध के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र या दो उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा तथा यदि उस सत्रावसान के पूर्व जिसमें यह रखा गया है या उसके ठीक बाद आने वाले सत्र में विधान सभा इस नियम में कोई उपांतरण करती है अथवा विनिश्चित करती है कि यह नियम नहीं बनाया जाए तो यह नियम यथास्थिति, उपांतिरत रूप में ही प्रभावी होगा अथवा प्रभावी ही नहीं होगा तथापि ऐसा उपांतरण या बातिलीकरण उस नियमावली के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना होगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद, प्रधान सचिव-सह-विधि परामशीं विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना 26 अक्टूबर, 2018

संख्या-एल॰जी॰-13/2017-164/लेज॰-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीया राज्यपाल द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 को अनुमत झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम, 2018 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

THE JHARKHAND ADVOCATES' CLERKS WELFARE FUND ACT, 2018 (Jharkhand Act, 16, 2018) TABLE OF CONTENTS

PREAMBLE SECTION

- 1. Short title, extent and commencement.
- 2. Definitions.
- 3. Advocates' Clerks Welfare Fund.
- 4. Establishment of Welfare Fund Committee.
- 5. Disqualification and removal of nominated members of the Committee.
- 6. Resignation by nominated member of the Committee and filling up of casual vacancies.
- 7. Act of the committee not be invalid by defect, vacancy, etc.
- 8. Vesting and application of the Fund.
- 9. Function of the Committee.
- 10. Borrowing and investment of Fund.
- 11. Power and duties of Secretary.
- 12. Jharkhand Advocates' Clerks Welfare Fund Stamp.
- 13. Recognition and registration of Advocates' Clerks Association.
- 14. Duties of Advocates' Clerks Association.
- 15. Membership of the Fund.
- 16. Payment from the fund on cessation of employment.
- 17. Restriction on alienation, attachment, etc. of interest of member in the Fund.
- 18. Group Life Insurance for members and other benefits.
- 19. Meeting of the Committee.
- 20. Traveling and daily allowance to members of the Committee.
- 21. Review.
- 22. Protection of action taken in good faith.
- 23. Bar of Jurisdiction of Civil Courts.
- 24. Power to summon witnesses and take evidence.
- 25. Power to make rules.

THE JHARKHAND ADVOCATES' CLERKS WELFARE FUND ACT, 2018

Preamble –Whereas it is expedient to provide for the constitution of a Welfae Fund for payment of retirement and other benefits to Advocates' Clerks in the State of Jharkhand and for matters connected there with or incidental there to.

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the Sixty-Ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.

- (1) This Act may be called The Jharkhand Advocates' Clerks Welfare Fund Act, 2018.
- (2) It extends to the whole of the State of Jharkhand.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

2. Definitions:

In this Act unless the context otherwise requires -

- (a) "Advocates" means a person whose name has been enrolled on the State Roll of the Advocates' prepared and maintained by the State Bar Council of Jharkhand under section 17 of the Advocates' Act, 1961 read with relevant provisions of the Bar Council of India Rule, 1975 and amended from time to time.
- (b) "Advocate Clerk" means a clerk employed by Advocate and recognized by such authority and in such manner as may be prescribed and who is a member of an Advocates' Clerks' Association:
- (c) "Advocates' Clerks Association" means an Association of Advocates' Clerks recognized and registered under section 13;
- (d) "Advocates Association" means an association of Advocates/Bar/Lawyer recognized/affiliated by the State Bar Council;
- (e) "Bar Council" means the State Bar Council of Jharkhand constituted under the the Advocates' Act, 1961;
- (f) "Cessation of Employment" means removal of the name of an Advocates' Clerk from the State roll maintained by the Committee on account of his retirement;
- (g) "Committee" means the Jharkhand Advocates' Clerks Welfare Fund Committee constituted under section 4;
- (h) "Dependant" means wife, husband, father, mother and unmarried minor child or children below the age of 18 years of age of a member of the Jharkhand Advocates' Clerks Welfare Fund.

- (i) "Fund" means the Jharkhand Advocates' Clerks Welfare Fund constituted under section 3;
- (j) "Government" means the State Government of Jharkhand;
- (k) "Member of the Fund" means an Advocates' Clerk admitted to the benefits of the Fund and continuing to be a member thereof under the provisions of this Act;
- (l) "Notification" means a notification published in the Jharkhand official Gazette, and the word "notified" shall be construed accordingly;
- (m) "Prescribed" means prescribed under the rules framed under this Act;
- (n) "Retirement" means stoppage of employment as an Advocates' Clerk for reason other than joining service or for carrying on any other gainful occupation, communicated to an recorded in the manner prescribed;
- (o) "Secretary" means the the Secretary of the Committee.
- (p) "Stamp" means the Jharkhand Advocates' Clerks Welfare Fund stamp printed and distributed under section 12; and
- (q) "Vakalatnama" means vakalatnama and includes memorandum of appearance or any other document by which an Advocate is empowered to appear or plead before any court, tribunal or other authority. But it shall not include memorandum of appearance filed on behalf of the State Officer representing State Government.

3. Advocates' Clerks Welfare Fund.

- (1) The Government shall, by notification, constituted a Fund to be called the Jharkhand Advocates' Clerks Welfare Fund.
- (2) There shall be credited to the Fund-
 - (a) all amounts collected by way of sale of stamps under section 12;
 - (b) any voluntary donations or contribution made to the Fund by the Bar Council, any Bar Association, any other Association or Institution, any Advocate or any other person;
 - (c) any sum borrowed under section 10;
 - (d) all sum received from the Life Insurance Corporation of India or any other Insurance Companies on the death of a member of the Fund under a Group Insurance Policy;
 - (e) any profit or dividend from the Life Insurance Corporation of India or any other Insurance Companies in respect of Policies of Group Insurance of the members of the Fund;
 - (f) any interest of dividend or other return on any investment made of any part of the Fund; and

(g) all sums collected under section 15.

4. Establishment of Welfare Fund Committee

- (1) The Government may, by notification, establish with effect from such date, as may be specified therein, a Committee to be called the Jharkhand Advocates' Clerks Welfare Fund Committee.
- (2) The Committee shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property and shall, by the said name, sue and be sued.
 - (3) The Committee shall consist of the following members, namely:-
 - (a) The Chairman of the Bar Council;
 - (b) The Principal Secretary to Government, Law Department;
 - (c) The Principal Secretary to Government, Home Department;
 - (d) The Principal Secretary to Government, Finance Department;
 - (e) The Registrar General of Jharkhand High Court;
 - (f) Three members to be nominated from among the Advocates' Clerks by such authority and in such manner as may be prescribed, of whom one shall be nominated by the Committee as the treasurer of the Fund; and
 - (g) A Secretary to be appointed by the Chairman in accordance with such regulation as may be made by the Committee in respect of the recruitment and conditions of service of such Secretary; Provided that the Secretary so appointed shall not have the right to vote at the meetings of the Committee.
 - (4) The Chairman of the Bar Council shall be the ex- officio Chairperson of the Committee.
 - (5) The Principal Secretary to Government, Law Department, the Principal Secretary to Government, Home Department, the Principal Secretary to Government, Finance Department and the Registrar General of Jharkhand High Court shall be ex-officio members of the Committee.
 - (6) In case the Principal Secretary to Government, Law Department, the Principal Secretary to Government, Home Department or the Principal Secretary to Government, Finance Department, is unable to attend the meetings of the Committee for any reason, he may depute any officer not below the rank of Deputy Secretary to Government to attend the meetings.
 - (7) In case the Registrar General of Jharkhand High Court is unable to attend the meetings of the Committee for any reason, he may depute any officer of his Department, not below the rank of Deputy Registrar to attend the meetings.

- (8) A member nominated under clause (f) of sub-section (3) shall held office for a term of three years from the date of such nomination or until he cease to be a member of Advocates' Clerks Association whichever is earlier.
 - (9) The Secretary shall paid such remuneration out of the Fund, as may be prescribed.

5. Disqualification and removal of nominated members of the Committee

- (1) A member nominated under clause (f) of sub-section (3) of section 4 shall be disqualified to be a member of the Committee, and shall cease to be such member, if he
 - (a) becomes of unsound mind; or
 - (b) is adjudged as insolvent; or
 - (c) remains absent without leave of the Committee for more than three consecutive meetings of the Committee,

Provided that the members ceasing to hold under this clause may be restored by the Committee, if such member makes an application for the condonation of the absence; or

- (d) is a defaulter to the Fund (if he is a member of the Fund) or has committed breach of trust; or
- (e) is convicted by a criminal court for an offence involving moral turpitude, unless such conviction has been set- aside.
- (2) The Government may remove any member who is or has become disqualified under sub-section (1), from the membership of the Committee.

Provided that the no order removing any member shall be passed unless the member has been given an opportunity of being heard.

6. Resignation by nominated member of the Committee and filling up of Casual vacancies.

- (1) Any member nominated under clause (f) of sub-section (3) of section 4 may resign his office by giving three months notice in writing to the Chairperson of the Committee and no such resignation being accepted by the said Chairperson he shall be deemed to have vacated his office.
- (2) Any casual vacancy in the office of a member referred to in sub-section (1) shall be filled up, as soon as possible and a member so nominated to such vacancy sall hold office for the residue of the term of his predecessor.

7. Act of the committee not be invalid by defect, vacancy, etc

No act done or proceeding taken under this Act or the rule made thereunder by the Committee shall be invalidated merely by the reason of –

- (a) any vacancy or defect in the constitution of the Committee; or
- (b) any defect or irregularity in nomination og any person as a member thereof; or
- (c) any defect or irregularity in such act or proceeding not affecting the merits of the case.

8. Vesting and application of the Fund

The fund shall vest in and be held and applied by the Committee subject to the provisions, and for the purposes of this Act.

9. Functions of the Committee

- (1) It shall be the function of the Committee to administer the Fund.
- (2) The Fund shall be administered by the Committee, subject to the provisions of this Act and rules made thereunder in the following manner:-
 - (a) hold the amounts and assets belonging to the Fund;
- (b) receive applications for admission or readmission to the Fund and dispose of such applications within ninety days of receipt thereof;
- (c) receive applications from the members of the Fund, their nominees or legal representatives, as the case may be, for payment out of the Fund;
- (d) conduct such enquiry as it deems necessary, for the disposal of such applications and dispose of the applications within five months from the date of receipt thereof;
 - (e) record in the minutes book of the Committee its decision on the applications;
 - (f) pay to the applicants amount at the rates specified in the schedule;
- (g) maintain such accounts books and send such periodicals and annual reports to the Bar Council, as may be prescribed;
- (h) communicate to the applicants under certificate of posting the decision of the Committee in respect of applications for admission or re-admission to the Fund or claims to the benefit of the Fund; and
- (i) do such other acts, as are or may be, required to be done under this Act and the rule made thereunder including making provisions of minimum number of staff for the office of the Committee.

10. Borrowing and investment of Fund

- (1) The Committee may, with the prior approval of the Bar Council, borrow, from time to time, any sum required for carrying out the purposes of this Act.
- (2) The Committee shall deposit all moneys and receipts forming part of the Fund in any Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act,1934 or invest the same in loans to any Corporation owned or controlled by the Central Government or the State Government or in any other manner as the Bar Council, may from time to time, direct with prior approval of the Government.
- (3) All amount due and payable under this Act and all expenditure relating to the management and administration of the Fund shall be paid out of the Fund.
- (4) The accounts of the Committee shall be audited annually by a Chartered Accountant appointed by the Committee.

- (5) The accounts, as certified by the auditor together with the audit report there on, shall be forwarded to the Bar Council by the Committee and the Bar Council may issue such direction as it deems fit to the Committee in respect there of.
- (6) The Committee shall comply with the directions issued by the Bar Council under sub section(2).

11. power and duties of Secretary shall -

- (a) be the Chief Executive Authority of the Committee and responsible for carrying out its decisions;
 - (b) represent the Committee in all suits and proceedings for and against the Committee.
 - (c) authenticate by his signature all decisions and instructions of the Committee.
 - (d) operate the bank accounts of the committee jointly with the Treasurer;
 - (e) convene meetings of the Committee and prepare their minutes;
- (f) attend the meetings of the the Committee with all the necessary records and information;
- (g) maintain such forms, registers and other records as may be prescribed from time to time, and do all correspondences relating to the committee;
 - (h) prepare an annual statement of business transaction by the committee during each financial year, and
 - (i) do such acts as may be directed by the Committee.

12. Stamp of Jharkhand Advocates' clerk welfare Fund :-

- (1) There shall be printed or caused to the printed by the Bar Council in such form and in such manner as may be prescribed, stamp inscribed "the Jharkhand Advocates' Clerk Welfare Fund"each of the value of five rupees.
- (2) Every Vakalatnama or Memorandum of appearance filed before any Court, authority of tribunal shall affixed with a stamp as specified in sub-section (1) in addition to the Court fee stamps, if any, and stamp to be affixed under any other Acts and no Vakalatnama or Memorandum of appearance shall be valid unless it is so stamped.

Provided that this sub-section shall not apply to any Vakalatnama of Memorandum or appearance filed on behalf of the Central or State Government.

- (3) The person or authority receiving Vakalatnama with such stamp shall forthwith effect cancellation of the stamp by punching out the same.
- (4) The custody of the stamps printed under this section shall be with the Bar Council and, the supply and sale of stamps shall be in such manner as may be prescribed.

13. Recognition and registration of Advocates' Celrks Association

(1) An Association of Advocates' Clerk constituted after the commencement of this Act may, within two months from the date of such constitution, and an Association of Advocates' Clerk constituted before the recommencement of this Act may, within two months from the

dated of commencement of this Act, apply to the Committee in such form and in such manner as may be prescribed, for recognition and registration as an Advocates' Clerk Association under this Act.

- (2) Every application for recognition and registration shall be accompanied by the rules or bye-laws of the Association, names and addresses of the office bearers of the Association, and an up-to-date list of the members of the Association with name, address, age and the ordinary place of employment of such member.
- (3) The Committee may, after such inquiry as it deems necessary, recognize the Association as an advocates' Clerks' Association and issue a Certificate of recognition and registration in such form as may be prescribed.
- (4) The decision of the Committee regarding the recognition and registration of Association shall be final.

14. Duties of Advocates' Clerks' Association :-

- (1) Every Advocates' Clerks' Association shall, on or before the 15^{th} April of every year, intimate to the Committee a list of its members as on the 31^{st} March of that year
 - (2) Every Advocates' Clerks' Association shall intimate to the Committee of -
 - (a) any change of the office bearers of the Advocates' Clerks' Association within fifteen days from such change;
 - (b) any change in number of members including admission and re-admission within thirty days of such change;
 - (c) the death or retirement of any of its members within thirty days from the date of occurrence there of; and
 - (d) such other matters as may be required by the Committee from time to time.

15. Membership of the Fund:-

- (1) Every Advocates' Clerk in the State may apply to the Committee, in such form and in such manner as may be prescribed, for admission as a member of the Fund.
- (2) On receipt of an application under sub-section (1) the Committee shall make such enquiry as it deems fit and either admit the applicant to the Fund or for reasons to be recorded in writing, reject the application.

Provided that no order rejection an application shall be passed unless the applicant has been given as opportunity of being heard.

- (3) Every applicant shall pay an application fee of Rupees One Hundred along with the application to the account of the Committee.
- (4) Every applicant shall pay to the Fund an admission fee of Rupees One Hundred at the time of admission or re-admission.
- (5) Every person admitted as a member of the Fund shall pay a membership fee of Rs. 2000/- payable in two equal half yearly installments.

(6) Every member of the Fund shall, at the time of admission make a nomination conferring on one or more dependents of his family the right to receive the amount from the Fund in the event of his death;

Provided that if he has no family he can nominate any person he likes.

- (7) If more than one person is nominated, the amount of share payable to each nominee shall be specified in the nomination.
- (8) A member of the Fund may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the Committee along with a fresh nomination.
- (9) A person retired from any service and drawing pension shall not be admitted to the Membership of the Fund.
- (10) Where on receipt of a complaint of otherwise, the Committee has reason to believe that an Advocate' clerk secured admission as a member of the Fund by misrepresentation, fraud or undue influence, the Committee shall have power to remove the name of such Advocates' clerk from the membership of the Fund;

Provided that no such orfer shall be passed unless the person, likely to be affect adversely, has been given an opportunity of being heard.

16. Payment from the Fund on cessation of employment:-

- (1) A member of the Fund shall, on cessation of employment, be entitled to receive from and out of the Fund an amount at the rate specified in the Schedule.
- (2) In the event of death of a member, a consolidated amount of rupees fifty thousand be paid to the nominee or, where there is no nominee, to his dependents.
- (3) A member of the Fund may withdraw his membership at any time after five years of his admission as a member of the Fund and on such withdrawal he shall be entitled to receive from and out of the Fund an amount at the rate specified in the Schedule and he may also be eligible for re-admission to the Fund as a new member subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that a member suffering from permanent disablement may withdraw his membership within five years of his admission to the fund.

- (4) For calculating the period of employment for the purpose of payment under this Act, every four years of employment under Advocate, if any, before the admission of a member to the Fund, shall be computed as one year of employment and added to the number of years of employment after such admission.
- (5) An application for payment from the Fund shall be made to the Committee in such form as may be prescribed.
- (6) An application received under sub-section (5), shall be disposed of by the Committee after such enquiry as it deems necessary.

17. Restriction on alienation, attachment, etc. of interest of member in the Fund.

(1) The interest or the right of a member of the Fund or his nominee or legal heirs to receive any amount from the Fund, shall not be assigned, alienated or charge and shall not be liable to attachment under any decree or order of any court, tribunal or other authority.

(2) No creditor shall be entitled to proceed against the Fund or the interest therein of any member of the Fund or his nominee or legal heirs.

Explanation – For the purpose of this section, "creditor" includes the State, or an official assignee or official receiver appointed under the law relating to insolvency for the time being in force.

18. Group Life Insurance for members and other benefits.

The Committee may, for the welfare of the members of the Fund-

- (a) Take from the Life Insurance Corporation of India or any other Insurance Companies, policies of Group Insurance on the life of the members of the Fund; and
- (b) Provide for medical and educational facilities, and such other benefits, as may be prescribed for the members of the Fund and their dependents.

19. Meetings of the Committee :-

- (1) The Committee shall meet at least once in three months or more often if found necessary to transact its business under this Act or the rule made there under.
- (2) Five members of the Committee shall form the quorum for a meeting of the Committee.
- (3) The Chairperson or in his absence, a member, elected by the members present at the meeting, shall have power to exercise a casting vote.
- (4) Any matter coming up before a meeting of the Committee shall be decided by a majority of the members present and voting at the meeting and in the case of equality of votes, the Chairperson or the member presiding over the meeting shall have power to exercise a casting vote.

20. Travelling and daily allowance to members of the Committee :-

The nominated members of the Committee shall be eligible to get such travelling allowance and daily allowances, as may be prescribed.

21. Review.

The Committee may, sou-motu, at any time or on an application from any interested person, within ninety days of any order passed by it, review any such order:

Provided that the Committee shall not pass any order adversely affecting person unless such person has been given an opportunity of making his representation.

22. Protection of action taken in good faith :-

- (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is, in good faith, done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule made there under.
- (2) No suit or other legal proceeding shall lie against the Committee or the Bar Council for any damage caused or likely to be caused by anything which is, in good faith, done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule made there under.

23. Bar of jurisdiction of Civil Courts :-

No Civil court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question or determine any matter which is under this Act required to be settled, decided or dealt with or determined by the Committee.

24. Power to summon witnesses and take evidence:

The Committee shall, for the purposes of any enquiry under this Act, have the same powers as are vested in a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely –

- (a) enforcing the attendance of any person or examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of documents;
- (c) receiving evidence on affidavit; and
- (d) issuing Commission for the examination of witnesses.

25. Power to make rules:-

- (1) the Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised of one session or two successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the next session immediately following, the Legislative Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rules.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि विभाग, झारखंड, राँची।
